**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2328**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)**

**विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाना**

**2328. डा॰ संजय सिंहः**

**श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) चालू वर्ष के दौरान अघोषित विदेशी आय और परिसम्पत्ति (कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015 के लागू होने के बाद से कितना काला धन वापस लाया गया है;

(ख) विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार विदेशों में जमा काला धन वापस लाने में विफल रही है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में मिलने वाली अपर्याप्त सफलता को ध्यान में रखते हुए चूककर्ताओं को पुनः एक अवसर प्रदान करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) विदेशों में जमा बेहिसाबी आय सहित कर अपवंचन के संबंध में समुचित कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई में शामिल है- सर्च, सर्वेक्षण, जांच- पड़ताल, आय का निर्धारण, करों का उद्ग्रहण, शास्तियां इत्यादि तथा जहां कहीं लागू हो, दंडात्मक न्यायालयों में अभियोजन शिकायतों का दायर किया जाना। काला धन(अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपबंधित एकबारगी तीन माह की अनुपालना विंडो, जोकि 30 सितंबर, 2015 को समाप्त हो गई थी, के अंतर्गत 648 घोषणाएं की गईं जिसमें 4,164 करोड़ रू की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियां घोषित की गई थी। ऐसे मामलों में कर और शास्ति के रूप में संग्रहित की गई धनराशि लगभग 2476 करोड़ रूपए है।

(ख) और (ग) सरकार ने काला धन, विशेष रूप से विदेश में जमा काले धन के मुद्दे से कारगर रूप से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल है- नीतिगत स्तर की पहलें, जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावकारी प्रवर्तन कार्रवाई, व्यापक विधायी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, क्षमता निर्माण पर बल देते हुए प्रणाली और प्रक्रियाएं तैयार करना और सूचना का समेकन और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रयोग के साथ इसका दोहन। इस बारे में हाल ही में की गईं मुख्य पहलों में शामिल हैं-

(i) माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के दो पूर्व न्‍यायाधीशों की अध्‍यक्षता और उपाध्‍यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, (ii) एक व्यापक कानून का बनाया जाना- काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर आरोपण अधिनियम, 2015 जो 1.7.2015 से विशेष रूप से बाहर भेजे गए काले धन पर अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आरंभ किया गया है, (iii) पनामा पेपर लीक में हाल के खुलासे की जांच के लिए केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और वित्‍तीय आसूचना एकक (एफआईयू) के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक बहु-एजेंसी दल (एमएजी) का गठन, (iv) दोहरा कराधान परिहार करारों (डीटीएए)/कर सूचना आदान-प्रदान करारों (टीआईईए)/बहुपक्षीय समझौतों के तहत सूचना के आदान-प्रदान को सुकर और संवर्द्ध बनाने के लिए विदेशी सरकारों के साथ पूर्व सक्रिय ढंग से कार्य करना, (v) उपयुक्‍त मामलों में अभियोजन सहित, जांच और अन्‍य अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए विदेश में छिपाए काले धन के मामलों को उच्‍च वरीयता देना, (vi) गैर-हस्‍तक्षेपी उपायों पर ध्‍यान देते समय, उच्‍च प्रभाव वाले मामलों में प्रवर्तन उपायों पर सम्‍यक बल देना ताकि कर अपवंचन/काले धन के विरुद्ध विश्‍वसनीय रोकथाम के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सके, (vii) कर अपवंचन/काले धन को रोकने के लिए अन्‍य बातों के साथ-साथ सूचना के स्‍वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) के संबंध में बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकार करार करते हुए और अमरीका के साथ इसके विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) के तहत सूचना सांझा करने की व्‍यवस्‍था में शामिल होते हुए वैश्विक प्रयासों को अग्र सक्रिय ढंग से और आगे बढ़ाना, (viii) विनिमय संबंधी आर्टिकल को अंतर्राष्‍ट्रीय मानक तक लाने के लिए अन्‍य देशों के साथ डीटीएए पर पुन:वार्ता करना और सूचना के आदान-प्रदान को सुकर करने और पारदर्शिता लाने के लिए कई क्षेत्राधिकारों के साथ नए डीटीएए और टीआईईए पर हस्‍ताक्षर करके भारत की संधि नेटवर्क का विस्‍तार करना, (ix) वित्‍त अधिनियम, 2015 के माध्‍यम से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को देश में धारित मूल्‍य के बराबर सम्‍पत्ति की कुर्की और जब्‍ती को समर्थ संशोधित करके करना जहां सम्‍पत्ति/अपराध की आमदनी देश के बाहर ली गई है या धारित है, (x) बेनामी संव्‍यवहार (निषेध) अधिनयम, 1988 में संशोधन करने के लिए बेनामी संव्‍यवहार (निषेध) संशोधन विधेयक, 2016 को पेश किया गया है ताकि अन्‍य बातों के अलावा बेनामी परिसम्‍पत्ति की जब्‍ती की जा सके और अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जा सके, (xi) कर संबंधी अनुपालन में सुधार लाने और उपलब्‍ध सूचनाओं का कारगर उपयोग करने के लिए गैर-हस्‍तक्षेपकारी सूचनापरक दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए आयकर विभाग में ‘एक परियोजना अंतरदृष्टि’ आधारित सूचना प्रद्योगिकी का प्रारम्‍भ।

इन उपायों से सरकार को विदेश में जमा कालेधन के खतरे से बेहतर ढंग से निपटने में सहायता मिली है। इसके अलावा कालेधन सहित विभिन्न मामलों में आयकर विभाग द्वारा की गई सतत और त्वरित कार्रवाई से अघोषित आय की एक बड़ी धनराशि का निर्धारण, जानकारी छिपाने संबंधी शास्ति का उद्ग्रहण और समुचित मामलों में विभिन्न अपराधों के संबंध में आपराधिक अभियोजन शिकायतों को दायर किया जा सका है।

(घ) सरकार के विचाराधीन इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**\*\*\*\*\***